

21-5-24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय हाजा को राजस्थान
कारागारों अधिनियम 1955 सुनने को क्षेत्राधिकार
है। चूंकि अपील चारा 75- लेज रैवेन्यू शर्कर
को अन्तर्गत आती है एवं न्यायालय हाजा को
इसका क्षेत्राधिकार ना होने से न्यायालय उपरोक्त
अधिनियमों के अंतर्गत लौटाया जा रहा है।
प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 2-7-24 को पेश हो

